नम्बर या
आइकाम
हुक्म की
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपुतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी – श्री पंकज बडगुजर आर.ए.एस

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
04/2022	14.02.2022	19.12.2023

उनवान

1. औमप्रकाश सिंह पुत्र श्री मकतूल सिंह जाति राजपूत निवासी कुतीना–मृतक

1/1–संजू पुत्री स्व. औमप्रकाश सिंह

1/2–प्रदीप पुत्र स्व. औमप्रकाश सिंह

1/3– सीमाना पुत्री स्व. औमप्रकाश सिंह

1/4–मीनू पुत्री स्व. औमप्रकाश सिंह

1/5–मीनू उर्फ शीनू पुत्री स्व. औमप्रकाश सिंह

1/6–दीपक पुत्र स्व. औमप्रकाश सिंह

1/7–भगवती उर्फ गुड्डी देवी पत्नी स्व. औमप्रकाश सिंह जातियान राजपूत निवासीयान कुतीना तह0 नीमाना जिला कोटपुतली–बहरोड़

.....अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत कुतीना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कुतीना
2. श्रीमती सीमा यादव पत्नी सतपाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम पण्डवाला खुर्द तह0 नजबगढ़ नई दिल्ली

..........रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत कुतीना दिनाकं 05.04.12
इंतकाल संख्या 1516 वाके ग्राम कुतीना

उपस्थिति......–1. श्री अजय सिंह यादव अपीलान्ट की ओर से

2.रेस्पोडेन्टान की ओर से कोई हाजिर नहीं।

–:निर्णय:–

पत्रावली पेश हुई अपील के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:–

अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया की इंतकाल सं.1171 दिनांक 21.12.2009 वाके ग्राम कुतीना पंचायत समिति नीमराना जो ग्राम पंचायत कुतीना द्वारा मुताबिक बयनामा दिनांक 16.01.2009 के मौके पर कब्जा की जांच करके विधिवत रूप से दर्ज कर स्वीकृत किया जाने के पश्चात पुनः इन्तकाल सं. 1516 दिनांक 05.04.2012 वाके ग्राम कुतीना तह0 नीमराना जो ग्राम पंचायत कुतीना पंचायत समिति नीमराना द्वारा दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। जो विधि विरूद्व रूप से

अधिकारी
टपूतली–बहरोड़

दर्ज कर स्वीकृत किया गया हैं जो उक्त इन्तकाल सं. 1516 दिनांक 5.4.2012 वाके ग्राम कुतीना तह0 नीमराना को अपील हाजा के आगामी सभी पदों में विवादित इन्तकाल से सम्बोधित किया जा रहा हैं।

विवादित इन्तकाल में वर्णित आराजी ख.नं. हाल 750 रकबा 13 ऐयर, 752 रकबा, 11 ऐयर 754 रकबा 27 ऐयर 845 रकबा 14 ऐयर 846 रकबा 32 ऐयर 847 रकबा 32 ऐयर 850 रकबा 24 ऐयर 851 रकबा 14 ऐयर 749 रकबा 12 ऐयर वाके ग्राम कुतीना तह. नीमराना राजस्थान है।

विवादित इन्तकाल में वर्णित आराजी ख.नं. हाल जिसे अपील हाजा के पद सं.2 में वर्णित की गयी हैं जिस के मुताबिक राजस्व रिकार्ड के 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार अपीलान्ट औमप्रकाश सिंह था जो अपीलान्ट ने अपने 1/6 भाग में से 1/2 भाग यानी 1/12 भाग के जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.1.2009 पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 01 के पृष्ट संख्या 37 से....... तक कम संख्या 89 पर पंजियन किया गया अतिरिक्त फाईल की जिल्द संख्या 03 के पृष्ट संख्या 01 से 04 तक चस्पा किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 02 श्रीमती सीमा यादव को मौके पर कब्जा देकर बेचान किया तथा मुताबिक बयनामा व कब्जा के इन्तकाल सं. 1171 दिनांक 21.12.2009 को ग्राम पंचायत कुतीना पंचायत समिति समिति नीमराना द्वारा दर्ज कर स्वीकृत किया गया। जो उक्त इन्तकाल के वर्णित आराजी मे 1/12 भाग रेस्पोडेन्ट सं. 02 को प्राप्त हो गया तथा 1/12 भाग अपीलान्ट का बाकी बदस्तर रह गया जो इन्तकाल सं. 1171 दिनांक 21.12.2009 संलग्न है।

अपीलान्ट विवादित इन्तकाल में वर्णित आराजी में अपने 1/12 भाग पर बिना किसी रोक टोक के काबिज रहकर काश्त करता आ रहा हैं तथा मौके पर काबिज हैं जिससे अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड को देखने व नकल आदि लेने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। जिससे अपीलान्ट को विवादित इन्तकाल की जानकारी एवं ज्ञान नहीं हो सका। अब जानकारी होने पर अविलम्ब ही अपील न्यायाल श्रीमान में पेश है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विवादित इन्तकाल सं. 1516 दिनांक 5.4.2012 वाके ग्राम कुतीना तह0 नीमराना जो ग्राम पंचायत कुतीना द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 के हक में मुताबिक बयनामा दिनांक 16.01. 2009 के दर्ज कर स्वीकृत किया गया है जो खिलाफ मौका खिलाफ कब्जा खिलाफ बयनामा हैं जबकि बयनामा में 1/12 भाग का बेचान किया हैं जो 1/6 भाग का विधि विरूद्व रूप से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। जिसको अपास्त किया जावे तथा मुताबिक बयनामा दिनांक 16.1.2009 के ग्राम पंचायत कुतीना द्वारा ही इन्तकाल सं. 1171 दिनांक 21.12.2009 में दर्ज कर स्वीकृत किया गया हैं जिसमें 1/12 भाग का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट सं.2 के हक में दर्ज कर स्वीकृत किया गया तथा 1/12 भाग अपीलान्ट का बाकी बदस्तुर रखा गया जो इन्तकाल सं. 1171 दिनांक 21.12.2009 मुताबिक बयनामा व कब्जा में दर्ज कर स्वीकृत किया गया है जो बहाल रखा जाकर मुताबिक इन्तकाल सं. 1171 के राजस्व रिकार्ड में अमल करवाया जाने की कृपा करें । आपकी अति कृपा होगी। जो ग्राम पंचायत ने इन्तकाल सं. 1171 दिनांक 21.12.2009 को दर्ज कर स्वीकृत करने के पश्चात उसी बयनामा के आधार पर पुनः इन्तकाल सं. 1516 दिनांक 05.04.2012 दर्ज किया गया है जो विधि वद्व है जिसे अपास्त किया जाने की कृपा करें। हल्फनामा संलग्न है।

ण्ड अधिकारी
ा (कोटपूतली-बहरोड़)

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये सम्मन तलब किया गया बाद तामिल रेस्पाडेन्टान संख्या 2 की ओर से श्री प्रवीण शर्मा एडोवेकेट का वकालतनाम पेश हुआ बाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से कोई

हाजिर नहीं हुआ वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि बनामा के आधार इन्तकाल संख्या 1171 दर्ज व मंजूर हो चुका था परन्तु पुनः उसी बेनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 1516 दर्ज कर मंजूर किया गया हैं जो विधि विरूद्व है इन्तकाल काबिल खारिज है। अतः अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 1516 निरस्त फरमाया जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न नकल बनामा नकल जमाबंदी व नकल इन्तकाल संख्या 1516 व नकल इन्तकाल संख्या 1171 का अवलोकन किया इन्तकाल संख्या 1171 बनामा दिनांक 16.01.2009 के आधार दर्ज व मंजूर किया गया है। तथा इन्तकाल संख्या 1516 भी बनामा दिनांक 16.01.2009 के ही आधार पर दर्ज व मंजूर किया गया है। बनामा दिनाक 16.1. 2009 के अनुवार आराजी का 1/12 भाग विकय किया जाना साबित है और इन्तकाल संख्या 1171 ही 1/12 हिस्सा का केता के नाम दर्ज व मंजूर किया गया है। इन्तकाल संख्या 1516 भी 1/12 हिस्सा का दर्ज व मंजूर किया गया है। इस प्रकार एक ही बनामे के अलग-अलग इन्तकाल दर्ज व मंजूर किए गए हैं।इन्तकाल संख्या 1516 का निर्णय करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा को ही जांच नहीं की गई तथा ना ही अपीलान्ट को सुना गया इसलिए प्रकरण की भलीभांति जांच किया जाना आवश्यक है इसलिए अपील-अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः आदेश है कि:-

अपील-अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कुतीना का आदेश दिनांक 5.4.2012 बाबत इन्तकाल संख्या 1516 वाके ग्राम कुतीना निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार नीमराना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वो पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बनामा व इन्तकाल संख्या 1171 व 1516 वाके ग्राम कुतीना की भली-भांति जांच कर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय के प्रति पालानार्थ तहसीलदार नीमराना को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 19.12.23 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19-12-2023

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)